मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3–153/2012/32 भोपाल दिनांक 20/6/2016

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला इंदौर
2. संयुक्त संचालक,
   नगर तथा ग्राम निवेश
   जिला–कार्यालय,
   इंदौर ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत इंदौर
4. आयुक्त
   नगरपालिका निगम इंदौर

विषय :– इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत्।

राज्य शासन ने इंदौर विकास 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– यथोपरि

(सी के साधव)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

2240/TC
23/06/16

17/6/2016

पृ0क्र0–एफ 3–153/2012/32 भोपाल दिनांक / /2016

प्रतिलिपि :–

संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

17/6/2016

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
आवक क्र. 912
दिनांक 22/6/16
शाखा Add Dr (N) TC
अधीक्षक आयुक्त

DD TC
23/06/16
23.6.16
D'man(S) website पर प्रकाशन करावें।

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 20-6/2016

क्रमांक–एफ–3–153/2012/32::मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट इन्दौर विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ग्राम बुढ़ानिया तह0हातोद	75/1,	7.167 हे0	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
2	ग्राम बुढ़ानिया तह0 हातोद	76, 77, 78, 82, 83, 84, 85,	7.03 हे0	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
		योग–	14.197 हे0		

शर्तें:–

1. प्रश्नाधीन भूमि के मध्य से 7.5 मीटर चौड़ा पश्चिमी रिंग रोड आर डब्ल्यू–3 निकलना प्रस्तावित है । अतः मार्ग की भूमि तथा इसके दोनों और 45 मीटर चौड़ाई तक नियमानुसार कंट्रोल एरिया रखा जावे ।
2. परियोजना अन्तर्गत सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से दूषित जल को शोधन पश्चात रिसाईकिल किया जावे ।
3. प्रश्नाधीन भूमि के सर्वे प्लान में एक नाला एवं एक ग्रामीण मार्ग परिलक्षित हो रहा है । अतः नाले को कंटूर प्लान के अनुसार यथावत रखा जावे और ग्रामीण मार्ग को यथावत रखते हुए न्यूनतम 7.5 मीटर चौड़ा किया जावे ।
4. विकसित अधोसरंचना के रख–रखाव हेतु योजना लाग की 5 प्रतिशत राशि हितग्राहियों से लेकर सुरक्षित रखी जावे एवं रहवासी समिति की हस्तांतरित की जावें ।
5. विकसित कॉलोनी के स्थानीय निकाय हो हस्तांतरण होने तक संधारण का दायित्व आवेदक का होगा ।

6. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान अनुसार वृक्षारोपण हेतु भूमि आरक्षित रखी जावे एवं प्रत्येक भूखण्ड के सामने मार्ग के किनारे कम से कम एक वृक्ष लगाया जावे ।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी के साधव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

17/8/2016

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Environment Department
MANTRALAYA

Notice for modification in development Plan

Bhopal, Dated 20 / 6 / 2016

No. F-3-153/2012/32 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (b) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Indore Development Plan 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No	**Village**	**Khasara No.**	**Area (in hec)**	**Land use specified in the development plan**	**Modified land use after modifications**
1	2	3	4	5	6
1.	Gram Budhania, tehsil Hatod	75/1,	7.167 hec.	Agriculture & Road	Residential & Road
2	Gram Budhania, tehsil Hatod	76, 77, 78, 82, 83, 84, 85	7.03 hec.	Agriculture & Road	Residential & Road
		Total	14.197 hec.		

Conditions :-

1- 7.5 metier wide western ring road RW-3 is proposed to pass from tha land in question. Hence the land for the road and control area upto 45.00 metier wide shoude be kept has per rules.

2- The waste water should be treadted in the sewerage treatment plant in the project and recycled.

3- A village and a Nallah is show in the serve plan of the land in question. Hence the Nallah should be maintained as per the contour plan and the village road should be maintanied as it is with a minimum wide of 7.5 metier.

4- An amount of 5 % of the total project cost shall be levied and secured for the maintanes of for the infrastructure development and transfered to the resident society.

5- The responsibility for maintaing the developed colony till it is transfered to the locial body shall be of the applicant.

6- Land shall be reserved for plantation as per the provision for the M.P. Bhumi vikas rules 2012 and tree plantation should be done infront of the each plots and by the side of rodes.

Details of the proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Joint Director, Town and Country Planning, Indore as well as on the web site. **www.mptownplan.nic.in** for a period of 15 days from the date of publication of this notice. Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Environment Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the
Governor Of Madhya Pradesh,

(C.K.Sadhaw)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Urban Developement And
Environment Department

17/6/2020